

राजस्थान सरकार  
राजस्वग्रुप-6 विभाग

क्रमांक: प.6/4/राज-6/2000/9

जयपुर, दिनांक: 21/5/2000

-अधिसूचना-

राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के नियम 7(2)(ख) के द्वितीय परन्तुक के अनुसरण में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जनहित में यह आक्रयक समझती है एवं एतद् द्वारा निर्देश देती है कि राज्य के समस्त जिलों हेतु भूमि आवंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी घोषणा की अवधि 15 दिन से कम करके 7 दिन किया जाता है।

यह अधिसूचना दिनांक 30.6.2000 तक प्रभावी रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शिव कुमार शर्मा  
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
राजस्वग्रुप-6 विभाग

क्रमांक: प.6/4/राज-6/2000/10

जयपुर, दिनांक: 8-5-2000

-अधिसूचना-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या-15 की धारा 26 की उप-धारा 1(1) संपठित 260(1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत तहसीलदार की समस्त शक्तियां तथा राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ स्थान्तरण नियम, 1992 के तहत नियम 8(1) के भाग (ख) में आवासीय प्रयोजनार्थ स्थान्तरण की तहसीलदार की शक्तियों का प्रयोग समस्त अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार लीव रिजर्व द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर किया जायेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 30.6.2000 तक प्रभावी रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शिव कुमार शर्मा  
शासन उप सचिव